न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 06/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, पाली		वनाराम पुत्र भीखा माली निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) हाल मालिक निम्बेश्वर ऑटोमोबाईल्स कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 24-9-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी वनाराम पुत्र भीखा माली के विरुद्ध उनकी दुकान मैसर्स निम्बेश्वर ऑटोमोबाईल्स कोसेलाव तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) के वक्त निरीक्षण दिनांक 08.11.2017 को मौके पर 70 लीटर डीजल भरा एक नीला ड्रम (साईज 200 लीटर) एवं एक डीजल भरने की मशीन (हाथ से चलने वाली मय स्टील पाईप), मापने का यंत्र(क्षमता 5 लीटर) एवं भरने हेतु कीप (लोहे का) को जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया तथा बहस प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम कोसेलाव में मैसर्स निम्बेश्वर ऑटोमोबाइल्स पर पैट्रोल व डीजल का अवैध व्यापार होने की सूचना मिलने पर प्रार्थी मौके पर दिनांक 08.11.2017 को पेट्रोल व डीजल की अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु मय श्रीमती भावना दयाल प्रवर्तन निरीक्षक, रानी एवं श्रीमती शिवानी अस्थाना प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर के साथ पहुचें तथा प्रार्थी द्वारा एक बोगस उपभोक्ता बनाकर वाहन में डीजल भरवाने हेतु अप्रार्थी की फर्म पर भिजवाया गया। जिसे अप्रार्थी वनाराम ने पांच लीटर डीजल उपलब्ध करवाया। जिसकी पुष्टि होते ही प्रार्थी मय टीम अप्रार्थी की फर्म पर पहुंच कर रूबरू मौतबिरान अप्रार्थी की दुकान/गोदाम की जांच करने पर पर दुकान/गोदाम के पीछे कमरे में एक 200 लीटर के नीले ड्रम में 70 लीटर डीजल भरा हुआ तथा एक डीजल भरने की मशीन (हाथ से चलने वाली मय स्टील पाईप), मापने का यंत्र(क्षमता 5 लीटर) एवं भरने हेतु लोहे की कीप पाये गये। मौके पर अप्रार्थी वनाराम पुत्र खीमा माली उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही दुकान का मालिक है तथा उससे विधिक दस्तावेज मांगने पर डीजल के व्यावसायिक उपयोग करने से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये गए न ही उपलब्ध करवाए गए। इस प्रकार पैट्रोल व डीजल अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए पाए जाने के फलस्वरूप पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय व रखरखाव) आदेश, 1999 की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री चुन्नीलाल पुत्र सवाईसिंह सहायक व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा पैट्रोल व डीजल का व्यावसायिक उपयोग कर पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय व रखरखाव) आदेश, 1999 की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि फर्द जब्ती अनुसार जब्तसुदा सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि दिनांक 08.11.2017 को एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया तथा उसने उससे उसकी गाड़ी में डीजल खत्म हो जाने हेतु कथन किया व निवेदन किया कि उसे डीजल उपलब्ध करावें, जिससे वह अपनी गाड़ी को पैट्रोल पम्प तक ले जा सके। अप्रार्थी जो कि एक किसान है, जिसने कृषि कार्य हेतु लाया गया डीजल महज मानवीय भावना के आधार पर उस व्यक्ति को लगभग 4–5 लीटर निःशुल्क डीजल दिया था। अप्रार्थी बदामदसुदा डीजल अपने कृषि कार्य में उपयोगार्थ लाया था। अप्रार्थी के खुद के दो ट्रेक्टर है जिसमें डीजल की आवश्यकता पड़ती है तथा आस–पास में कोई पैट्रोल पम्प नहीं होने के कारण आवश्यकतानुसार पैट्रोल व डीजल को संग्रहण कर रखना पड़ता है, मात्र इसी हेतु अप्रार्थी ने डीजल का संग्रहण किया था। वह डीजल का अवैध व्यवसाय नहीं करता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें एवं जब्तसुदा माल को रिलीज किया जावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, वकील अप्रार्थी के जवाब तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा एक 200 लीटर के नीले ड्रम में 70 लीटर डीजल भरा हुआ तथा एक डीजल भरने की मशीन (हाथ से चलने वाली मय स्टील पाईप), 5 लीटर मापने का यंत्र एवं भरने हेतु लोहे की कीप अप्रार्थी के व्यावसायिक परिसर मैसर्स निम्बेश्वर ऑटोमोबाईल्स कोसेलाव तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) में पाया गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा जब्ती से पूर्व एक बोगस ग्राहक को भिजवाया जाकर अप्रार्थी द्वारा डीजल का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने बाबत ताईद करवाई गई तथा अप्रार्थी द्वारा बोगस ग्राहक को पांच लीटर डीजल विक्रय किया गया तथा जांच करने पर दुकान के पीछे कमरे में 200 लीटर साईज का एक ड्रम जिसमें 70 लीटर डीजल पाया गया। उसी में से 5 लीटर डीजल अप्रार्थी द्वारा बोगस ग्राहक को भरवाया गया था। इस प्रकार डीजल व पांच लीटर मापने के यंत्र से माप कर डीजल व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दिया जाना सिद्ध होता है। मानवीय आधार पर डीजल उपलब्ध करवाने पर उसे नापने की आवश्यकता नहीं है। इससे प्रार्थी द्वारा डीजल का अवैध रूप से व्यवसाय किया जाना सिद्ध है। अप्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उसके द्वारा उसके पास से पाए गए डीजल का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा था। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि अप्रार्थी जब्त डीजल का संग्रह कस्बे के आस–पास कोई पैट्रोल पम्प नहीं होने से उसकी निजी आवश्यकता हेतु किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी ने डीजल का अवैध संग्रह किया है तथा उसमें से प्रार्थी द्वारा भेजे गए बोगस ग्राहक को भी उपलब्ध कराया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से वनाराम पुत्र खीमा माली द्वारा पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय व रखरखाव) आदेश, 1999 की अवहेलना किया जाना सिद्ध होने से जब्तसुदा एक 200 लीटर के नीले ड्रम में 70 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया तथा एक डीजल भरने की मशीन (हाथ से चलने वाली मय स्टील पाईप), मापने का यंत्र(क्षमता 5 लीटर) एवं भरने हेतु लौहे की कीप को राज्यसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, पाली को निर्णय की प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा 70 लीटर डीजल व अन्य सामग्री सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर डीजल किसी रिटेल आउटलेट के माध्यम से प्रचलित दर से विक्रयकर उससे प्राप्त राशि एवं अन्य सामग्री को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 24-9-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)